



तारीख मुकदमा	मुकदमा या कार्यवाही पर तपुहल्लाहाज जज
16-1-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फादर व/अनुपस्थित/पठित/सौत/कार्यवाही व/अनुपस्थित/पठित/सौत/कार्यवाही व/अनुपस्थित/पठित/सौत/कार्यवाही 23-1-23 को पेश हो।</p>
23-1-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान ठपण। वकील उप्रार्थीगण जणव ये आईं पक्ष करे हे स वकील प्राची जणव दरखास्त OLR 10 CPC हे अक्सर पाये हे। न्यायदिव में अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्तु पेश हे जणव ये आईं व जणव दरखास्त OLR 10 CPC पत्रावली दिनांक 9-2-23 को पेश हे।</p> <p style="text-align: center;">  दिलीप सिंह उभयपक्ष अधिकारी, श्रीमानकोष </p>
9-2-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फादर व/अनुपस्थित/पठित/सौत/कार्यवाही व/अनुपस्थित/पठित/सौत/कार्यवाही व/अनुपस्थित/पठित/सौत/कार्यवाही दिनांक 16-02-23 को पेश हो।</p>
6.02.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान उपस्थित प्रकरण में श्री रघुनाथ सिंह एड0 ने अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र  दरखास्त पेश नहीं कर सीधे ही प्रार्थना पत्र को स्वीकार में कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। अतः वकील</p> <p style="text-align: right;">- लतादास -</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
गिरधारी लाल बनार मोहन जी

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

प्रार्थीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक/प्रार्थी श्री धन्नाराम पुत्र सुखाराम जाति बलाई निवासी मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थी संख्या 7 संयोजित किया जाता है। जिसे शीर्षक में लाल स्याही से अंकित किया गया। वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 20.02.2023 को पेश हो।


(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)